

सुओ मोटो डिस्क्लोजर (दि. 10-06-2015 तक अद्यतन)

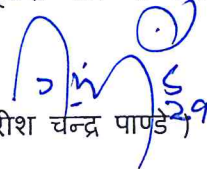
मद सं. VIII (ख)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

संस्कृति मंत्रालय के दि. 08 अप्रैल, 2011 के संकल्प सं.ई 11015/4/2009 -हिन्दी के अधिक्रमण में संस्कृति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है और 10 जून, 2015 को संकल्प जारी कर दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री हैं। इस समिति में गैर सरकारी सदस्य के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा चार सदस्यों तथा संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दो सदस्यों को नामित किया जाता है, जबकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित सदस्यों की संख्या चार होती है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा एक सदस्य और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा एक सदस्य नामित किया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा तीन सदस्य नामित किए जाते हैं। सचिव, संस्कृति इसके सदस्य सचिव होते हैं और मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारी तथा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। समिति का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।


(गिरीश चन्द्र पाण्डे) 29/6/15

उप निदेशक (राजभाषा)

संकल्प

सं. ई.11016/1/2014-हिंदी। संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के संकल्प सं. ई. 11015/4/2009-हिंदी के अधिक्रमण में, भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे :-

I. गठन

1. संस्कृति मंत्री अध्यक्ष

II. गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

2. श्री बोध सिंह भगत
संसद सदस्य (लोक सभा)

3. श्री जितेन्द्र चौधरी
संसद सदस्य (लोक सभा)

4. श्री दिलीपभाई पंडया
संसद सदस्य (राज्य सभा)

5. श्री सी.एम. रमेश
संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

6. श्री लक्ष्मी नारायण यादव
संसद सदस्य (लोक सभा)
मध्य प्रदेश भवन

नई दिल्ली - 110021

स्थायी पता:

10, गौ घाट, परकोटा

सागर, मध्य प्रदेश

7. श्री प्यारीमोहन महापात्रा
संसद सदस्य (राज्य सभा)

सी-11/55, सत्य मार्ग

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

स्थायी पता:

ए- 111, साहिद नगर

भुवनेश्वर - 751007

संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित

8. डॉ. सत्येन्द्र शर्मा,

श्यामायन, सहकार मार्ग

सतना-485001 (मध्य प्रदेश)

9. डॉ. क्षमा कौल
'सुम्बल', 90 बी, लेन-12
भवानीनगर, जानीपुर
जम्मू- 180007
10. श्री हृदयनारायण दीक्षित
दारूलशफा, ए- ब्लॉक, फ्लैट नं.-88 बी
विधायक निवास-1,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
11. डॉ. स्वर्ण अनिल
सी-228, साउथ मोती बाग
नानकपुरा, नई दिल्ली -110021
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित
12. श्री नन्दकिशोर भट्ट
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित
13. डॉ. किशोर वासवानी
ए 28, साकेत III रो हाउसेस
वेजलपुर बाजार
पो. जीवराज पार्क
अहमदाबाद (गुजरात) – 380051
राजभाषा विभाग द्वारा नामित
14. श्री पी.एल.कोठारी
म.नं. 353, लेन नं. 1
वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली मार्ग
धर्मपुर, देहरादून (उत्तराखंड)
15. श्री राघवेन्द्रा
म.नं. 333, तीसरा ब्लॉक
'दि एम्बेसी' अली अकसर रोड
बंगलौर-1
16. चौधरी यशपाल सिंह
1/8, रक्षापुरम, मवाना रोड
मेरठ (उत्तर प्रदेश)
पदेन सदस्य
17. सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य सचिव
18. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
19. अपर सचिव, संस्कृति मंत्रालय
20. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय
21. संयुक्त सचिव (ए), संस्कृति मंत्रालय
22. संयुक्त सचिव (जेड), संस्कृति मंत्रालय
23. संयुक्त सचिव (सी), संस्कृति मंत्रालय

24. संयुक्त सचिव (अकादेमी), संस्कृति मंत्रालय
25. संयुक्त सचिव (जी), संस्कृति मंत्रालय
26. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
27. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली
28. महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
29. निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता
30. निदेशक, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता
31. महानिदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता
32. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली
33. महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
34. निदेशक, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण शोध प्रयोगशाला, लखनऊ
35. निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
36. महासचिव, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
37. महानिदेशक, सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
38. प्रधानाचार्य, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जम्मू और कश्मीर
39. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
40. निदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली
41. निदेशक, गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली
42. निदेशक, भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
43. सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली
44. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
45. निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
46. निदेशक, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
47. सचिव, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
48. निदेशक, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
49. महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
50. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कला इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
51. निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
52. निदेशक, नव नालंदा महा विहार, नालंदा, बिहार
53. निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
54. विशेष कार्याधिकारी, रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश
55. महानिदेशक, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
56. सचिव, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
57. निदेशक, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद
58. सचिव, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
59. सचिव एवं संग्रहाध्यक्ष, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
60. निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला
61. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद
62. निदेशक, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
63. निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर

64. निदेशक, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर
65. निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
66. निदेशक, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता

2. समिति के कार्य

समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों, तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों और अनुदेशों के अनुसार संस्कृति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करना और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. कार्य अवधि

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्यतः 3 वर्ष का होगा :-

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण, रिक्त हुए स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।
- (घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल मंत्रालय द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. यात्रा/दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

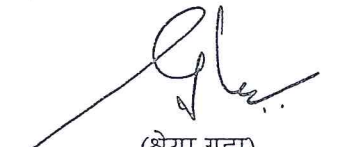
5. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संस्कृति मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा सभी नियंत्रणाधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।


(श्रेया गुहा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
☎ : 23381198

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद
(फा. सं.ई.11016/1/2014-हिंदी)

- अनुरोध है कि राजपत्र में प्रकाशित संकल्प की पांच प्रतियाँ संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेजी जाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
10. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
11. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
12. नीति आयोग, नई दिल्ली।
13. वेतन एवं लेखा कार्यालय, एन.ए.आई. बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली।
14. सूचना अधिकारी (संस्कृति मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय पर तत्काल एक प्रेस नोट जारी किया जाए।
15. राजभाषा विभाग, एनडीसीसी भवन-II, चतुर्थ तल, 'बी' विंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को उनके दिनांक 03/06/2015 के का.ज्ञा. सं. 11/20015/23/2014-रा.भा. (हि.स.स.) के संदर्भ में।
16. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के पत्र संख्या 25011/3/2014 - समिति- 5 के संदर्भ में।
17. संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन
18. संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
19. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वार्ड-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को उनके दिनांक 17.03.2015 के पत्र संख्या मम 11/2014-15/111 के संदर्भ में।
20. संसदीय कार्य मंत्रालय को उनके दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के का.ज्ञा. सं. 2-37 (1)/2003- समिति के संदर्भ में।
21. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा को उनके दिनांक 21.01.2015 के पत्र संख्या प्रचार /ऊर्जा मं. /हि. स. स. /59 के संदर्भ में।
22. संस्कृति मंत्री के निजी सचिव/सचिव (संस्कृति) के प्रधान निजी सचिव।
23. गार्ड फाइल।


(वेद प्रकाश गौड़)
निदेशक (राजभाषा)
☎ : 23383032
